ई-मेल/स्पीड-पोस्ट द्वारा

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

संख्या : 30/म.प्र./2018(पार्ट6) दिनांक : 08 जून, 2018

सेवा में

ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी
24, अकबर रोड,
नई दिल्ली - 110001

विषय : विधान सभा निर्वाचन, 2018 के लिए मध्य प्रदेश की निर्वाचक नामावलियों में डुप्लीकेट, पुनरावृत्त, बहुल, अवैध, अमान्य, जाली इत्यादि प्रविष्टियां/मतदाता।

संदर्भ : आयोग के समक्ष दिनांक 03 जून, 2018 को उपर्युक्त विषय पर अभ्यावेदन।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय पर अपनी शिकायत का संदर्भ लें, जो कि आयोग के समक्ष 03 जून, 2018 अर्थात पिछले रविवार को प्रस्तुत की गई थी। आयोग ने तत्काल मध्य प्रदेश राज्य में चार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों नामत: नरेला, भोजपुर, होशंगाबाद और सिवनी-मालवा हेतु अन्त: अनुशासनात्मक टीमों का गठन किया। उपर्युक्त पत्र के साथ अग्रेषित सूची में से इन निर्वाचन क्षेत्रों को यादृच्छिक रूप से संक्षिप्त सूची में रखा गया था।

गहन फील्ड कार्य और मूल सत्यापन करने के पश्चात 07 जून, 2018 को ईसीआई की टीमों ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे निम्न रूप से संक्षेपित किया जा सकता है:

1. टीम ने 136- सिवनी - मालवा में के 17 मतदान केन्द्रों की सभी 82 प्रविष्टियों का सत्यापन किया और सत्यापन करने पर पाया कि इनमें से कोई भी एक ही मतदाता की अनेक प्रविष्टियों की श्रेणी में नही आता है। विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अंदर 20 मतदान केन्द्रों में 2442 प्रविष्टियों के सभी मतदान केन्द्रों में एक समान होने का आरोप लगाया गया था, इनका सत्यापन किया गया और यह पाया गया कि उपर्युक्त में से 2,397 प्रविष्टियां वास्तविक हैं और 45 प्रविष्टियों के मामले में मृत्यु या स्थानांतरण जैसे कारणों की वजह से नाम काटने की प्रक्रिया चल रही है और एक मामले में नाम काटने की प्रक्रिया सम्पन्न हो गई है। टीम ने

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में एकसमान छवि वाले मामलों का व्यक्तिगत रूप से सत्यापन किया और पाया कि ऐसे 449 मामलों का पहले ही सत्यापन किया जा चुका है और 147 मामलों में पहले ही संशोधन कर दिए गए हैं।

2. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 151- नरेला में, शिकायत में सूचीबद्ध 22,252 प्रविष्टियों में से 17,684 को अजीब पाया गया। विद्यमान निर्वाचक नामावली से मिलान करने पर यह पाया गया कि 17,684 रिकॉर्डों में से 1776 प्रविष्टियां निर्वाचक के नाम और निर्वाचक से उसके रिश्ते के संबंध में बिल्कुल मेल खाती थीं। टीम ने 154 प्रविष्टियां का सत्यापन किया और पाया कि 153 प्रविष्टियां एकदम सही थी। टीम ने बहुल छवियों के 80 मामलों की भी जांच की और पाया कि सभी प्रविष्टियां वास्तविक थीं। 40 मामलों में सही छवियों को लगाया गया है।

3. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 137 - होशंगाबाद में शिकायत में उल्लिखित 552 प्रविष्टियों की इस टीम द्वारा जांच की गई और फील्ड सत्यापन पर बहुल प्रविष्टि का कोई मामला सामने नहीं आया। टीम ने यह भी पाया कि 40 मामलों में सतत अद्यतन के दौरान सही छवियां उपलब्ध कराई गई थीं।

4. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 141 - भोजपुर में टीम ने 36 मामलों में फील्ड सत्यापन किया और कि उनमें से 29 मामलों को सही पाया और 7 मामलों में सतत् अद्यतन के दौरान नाम काटने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है।

इन चार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से फील्ड सत्यापन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि:

(क) इन चारों विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर मतदाताओं की बहुल प्रविष्टियों के आरोप की पुष्टि नहीं की जा सकती है।
(ख) छवियों की पुनरावृत्ति के कथित मामले निर्वाचक नामावली में बहुल प्रविष्टियों से संबंधित नहीं है क्योंकि ये केवल छवियों की पुनरावृत्ति से संबंधित हैं।
(ग) सतत् अद्यतन के दौरान छवियों की पुनरावृत्ति के मामले पर संशोधन हेतु कार्रवाई पहले ही आरंभ की जा चुकी है।
(घ) शिकायत में उपलब्ध कराए गए आंकड़े केवल मानदण्ड 2 और 3 से संबंधित है और ये सत्यापन और संशोधन, यदि अपेक्षित हो, के प्रयोजनार्थ संभावित जनसांख्यिकीय रूप से समान प्रविष्टियों के रूप में माने जाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

मतदाता सूची में डुप्लीकेशन की शिकायत के अतिरिक्त यह इंगित किया गया था कि मध्य प्रदेश राज्य में निर्वाचकों की संख्या में अस्पष्ट वृद्धि हुई है चूंकि ईपी अनुपात जो कि वर्ष

2008 में 52.76% हुआ करता था, वर्ष 2018 में बढ़कर 61.45% हो गया है। इसे जनगणना के आंकड़ों और निर्वाचक नामावली की संख्याओं में वार्षिक वृद्धि के परिपेक्ष्य में देखा गया है और इसमें कुछ भी असामान्य नहीं देखा गया। अत:, इससे निश्चित रूप से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मौजूदा निर्वाचक नामावली पर विवाद का कोई आधार नहीं है।

जमीनी स्तर पर एकत्र किए गए साक्ष्यों और शिकायत के साथ उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के विश्लेषण यह बताते हैं कि मध्य प्रदेश की निर्वाचक नामावलियों में बड़ी संख्या की डुप्लीकेट, पुनरावृत्ति, बहुल, अवैध, अमान्य, जाली इत्यादि प्रविष्टियों/मतदाताओं के दावे ठोस मानदण्डों पर आधारित नहीं है और इसलिए सहीं नहीं हैं।

पांच मानदण्डों, नामत: नाम, आयु, लिंग, संबंध, संबंध का नाम, पर आधारित जनसांख्यिकीय रूप से एक समान संभावित प्रविष्टियों की पहचान करने के लिए आयोग के पास एक सुनियोजित तंत्र है। इन संभावित प्रविष्टियों में संशोधन संबंधी उपाय, जहां कहीं आवश्यक हों, करने से पहले संरचित रूप से गहन फील्ड सत्यापन करने के लिए इन्हें फील्ड स्तर पर उपलबध कराया जाता है। जैसा कि फील्ड स्तरीय साक्ष्यों से स्पष्ट है कि बहुत से निर्वाचकों के एक समान नाम हो सकते हैं जो कि जनसांख्यिकीय रूप से संभावित एकसमान प्रविष्टि नहीं हो सकती है। आयोग, सभी राजनैतिक दलों सहित सभी पणधारियों के साथ पूर्ण सहयोग और समन्वय से पारदर्शी तरीके से त्रुटिरहित निर्वाचक नामावली हेतु सभी उपाय करने में अत्यंत सक्रिय रहा है।

यदि आपके पास इस मामले के संबंध में और इनपुट है तो आपसे उसे उपलब्ध कराने का अनुरोध है ताकि जमीनी स्तर पर शीघ्रता से आगे सत्यापन किया जा सके। इसके अतिरिक्त, आयोग ने सीईओ, मध्य प्रदेश को यह निदेश भी दिए हैं कि अन्य सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में समयबद्ध रूप से आपके द्वारा प्रस्तुत की गई शिकायत का गहन सत्यापन किया जाए तथा जमीनी स्तर पर किए गए सत्यापन के निष्कर्षों को आपके साथ साझा किया जाए।

भवदीय

(राहुल शर्मा)
सचिव